न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 72/2022 अपील

1. श्रीमती सुन्दर बाई पत्नी बनाम स्व. उदयलाल सेन निवासी सूरियों का मोहल्ला कालाजी बावजी के पास कोशिथत तहसील सहाडा
2. श्रीमती कविता पत्नी स्व. किशन लाल सेन निवासी सूरियों का मोहल्ला
3. हर्षिता पुत्री स्व. किशन लाल सेन नाबा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता कविता पत्नी किशन लाल सेन निवासी सूरियों का मोहल्ला
4. सीमा पत्नी ओमप्रकाश सेन निवासी पोटलां तहसील सहाडा वाया गंगापुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

1. सुरेश पुत्र स्व. प्यारचन्द विश्नोई निवासी विश्नोई मोहल्ला पुर
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. प्यारचन्द विश्नोई निवासी विश्नोई मोहल्ला पुर
3. आजाद पुत्र स्व. प्यारचन्द विश्नोई निवासी विश्नोई मोहल्ला पुर
4. महावीर पुत्र स्व. प्यारचन्द विश्नोई निवासी विश्नोई मोहल्ला पुर
5. गोविन्द पुत्र स्व. प्यारचन्द विश्नोई निवासी विश्नोई मोहल्ला पुर
6. गुड्डी पुत्री स्व. प्यारचन्द विश्नोई निवासी विश्नोई मोहल्ला पुर
7. राधा देवी पत्नी स्व. प्यारचन्द विश्नोई निवासी विश्नोई मोहल्ला पुर
8. नौरतमल पुत्र स्व. गोकल विश्नोई निवासी विश्नोई मोहल्ला पुर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

– रेस्पोडेण्टगण

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा बमामले नामान्तरण
प्रकरण संख्या 7888 दिनांक 17.11.2016

उपस्थित –
1. श्री राकेश जैन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.05.2023

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण सं. 7888 दिनांक 17.11.2016 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 8199 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 08 के नाम पर दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या

अति. जिला कलक्टर

कोई मियाद नही है, फिर भी आदेश की दिनांक से अपील पेश करने मे हुई देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाने व कानूनी उजर रफर करने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के नामान्तकरण संख्या 7888 दिनांक 17/11/2016 को निरस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 08 बावजूद सम्मन तामील के आदेशिका दिनांक 19.12.2022 से ही अनुपस्थित चले आ रहे हैं। अतः इनके विरूद्व दिनांक 15.02.2023 को एक तरफा कार्यवाही की जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अपीलार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

बहस दौरान अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 8199 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 08 के नाम पर दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 07 के पिता व पति प्यारचन्द विश्नोई व प्रत्यर्थी संख्या 08 द्वारा उक्त भूमि का ले आउट प्लान अनुसार प्लाटिंग कर प्लॉट काटे गये। इसी कम में अपीलार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा प्लॉट संख्या 7 व 8 का भू भाग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 19.03.2010 जरिये क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त किया। इसी प्रकार अपीलार्थी संख्या 04 द्वारा प्लॉट संख्या 02 का भू भाग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 05.07.2010 जरिये क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त किया हैं। जिस पर अपीलार्थीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रत्यर्थी

संख्या 01 लगायत 07 के पिता व पति प्यारचन्द व प्रत्यर्थी संख्या 08 द्वारा उक्त भूमि के प्लॉट काटकर विक्रय कर देने से उनका कोई हक अधिकार व स्वत्व शेष नही रहा है व न ही प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 07 को विरासत से उक्त आराजीयात में कोई हक व स्वत्व व अधिकार नही रहता है। खातेदार प्यारचन्द की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि में प्यारचन्द द्वारा प्लॉट विक्रय कर देने से उसका कोई हक स्वत्व व अधिकार नही होते हुए भी प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 07 द्वारा राजस्व कर्मचारी पटवारी व गिरदावर से मिलीभगत कर पटवारी व गिरदावर द्वारा बिना मौके व कब्जे की जांच पडताल किये मनमकसूद तरीके से नामान्तकरण कर, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया व गिरदावर की रिपोर्ट पर विश्वास कर नामान्तकरण फैसला किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के नामान्तकरण संख्या 7888 दिनांक 17/11/2016 को निरस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावे।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। ग्राम पुर पटवार हल्का पुर की आराजी संख्या 8198 रकबा 1.03 बीघा भूमि में से विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 के पिता व पति प्यारचन्द विश्नोई व विपक्षी संख्या 08 द्वारा अपीलार्थीगण को प्लॉट संख्या 7, 8, 2 कुल प्लॉट 3 कुल क्षैत्रफल 3000 वर्गफिट जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वर्ष 2009 से बेचान किया गया।

प्लॉट संख्या	बेचानकर्ता का नाम	क्षैत्रफल (वर्गफीट)	रजि. विक्रय पत्र दि.
7	प्यारचन्द्र एवं नोरतमल विश्नोई	1000	30.10.2009
8	प्यारचन्द्र एवं नोरतमल विश्नोई	1000	30.10.2009
2	प्यारचन्द्र एवं नोरतमल विश्नोई	1000	09.04.2010
कुल क्षैत्रफल		3000 वर्गफीट	

पत्रावली परीक्षण उपरांत जाहिर होता है कि प्यारचन्द एवं नोरतमल विश्नोई द्वारा 3000 वर्गफीट रजिस्टर्ड विक्रयसुदा भूखण्डों पर प्यारचन्द व नोरतमल विश्नोई व इनके वारिसान का कोई हक अधिकार शेष नही रहता हैं। अधीनस्थ

न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा ने अपीलार्थीगणों को सुनवायी हेतु अवसर प्रदान नही करके, एवं प्रश्नगत आराजियात से संबंधित सभी दस्तावेजात की जांच परख नहीं करके उक्त नामान्तरकरण संख्या 7888 निर्णय दिनांक 17.11.2016 को पारित किया गया जो न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के मध्येनजर अपीलार्थीगण के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रानुसार उनके हक हिस्से तक कुल क्षैत्रफल 3000 वर्गफीट तक नामान्तरकरण संख्या 7888 दिनांकित 17.11.2016 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आंशिक स्वीकार की जाती हैं। प्यारचन्द व नोरतमल विश्नोई के वारिसान के नाम निर्णित नामान्तरकरण संख्या 7888 में से अपीलार्थीगण के पक्ष मे हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रानुसार उनके हक हिस्से तक कुल क्षैत्रफल 3000 वर्गफीट तक नामान्तरकरण संख्या 7888 दिनांकित 17.11.2016 को अपास्त किया जाता हैं। शेष हिस्सा यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीलवाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)